कार्यालय आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश, मोतीमहल, ग्वालियर

E-mail-ecmpgwl@hotmail.com

:: स्थाई परिपत्र आसवनी 2012–13/25 ::

ग्वालियर, दिनांक 03.08.2012

माननीय उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ इंदौर द्वारा हाल ही में पारित एक आदेश के अनुक्रम में राज्य की समस्त विनिर्माणी इकाइयों (डी–1, बी–3, सी.एस.1–बी, एफ.एल.–9 तथा एफ.एल.–9–क) में अनुज्ञप्तिधारक तथा प्रभारी अधिकारी दोनों के द्वारा प्रत्येक धारिता की कांच एवं पैट की खाली बोतलों का लेखा (उपलब्ध प्रारम्भिक संग्रह, उस तिथि को प्राप्त मात्रा, उपयोग में लायी गई संख्या, उपयोग में टूटफूट तथा शेष अंतिम संग्रह की जानकारी का तिथिवार विवरण) रखा जाना अनिवार्य किया जाता है।

प्रत्येक विनिर्माता उसकी विनिर्माणी इकाई की जानकारी, संलग्न प्रारूप में प्रत्येक दिन (तिथि) की समाप्ति पर इकाई के प्रभारी अधिकारी को उपलब्ध करायेगा। विनिर्माणी इकाई के प्रभारी अधिकारी द्वारा उस पत्रक के आधार पर एक लेखा पंजी का संधारण किया जायेगा। जिसमें सभी धारिताओं की कांच व पैट की खाली बोतलों का लेखा संलग्न प्रारूप अनुसार ही संधारित किया जायेगा। इकाई के प्रभारी अधिकारी नियमित रूप से इस बात की भी जांच करेंगें कि विनिर्माता द्वारा दी गई जानकारी सही है। सप्ताह में कम से कम एक बार वे कांच व पैट की खाली बोतलों के संग्रह का सत्यापन भी करेंगें। जिसकी प्रविष्टि इकाई पर संधारित दैनंदिनी डी–21 में अंकित की जायेगी।

विनिर्माणी इकाई में खाली बोतलों का जब भी नवीन परेषण (**Consignment**) प्राप्त होगा, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा इसकी सूचना प्रभारी अधिकारी को दी जायेगी तथा प्रभारी अधिकारी द्वारा आवश्यक जांच पश्चात उसके संग्रहण की अनुमति दी जायेगी।

संभागीय उपायुक्त आबकारी, संभागीय सहायक आबकारी आयुक्त तथा जिले के प्रभारी, सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी भी उनके निरीक्षण के दौरान खाली बोतलों के संग्रह सत्यापन व इस संबंध में संधारित अभिलेखों की जांच की कार्यवाही अनिवार्यतः करेगें।

संलग्न–
उपरोक्तानुसार

(एस.के.वेद)
आबकारी आयुक्त
मध्यप्रदेश

पृ.क्रमांक–5(4)/2012–13/2228 ग्वालियर, दिनांक 03.08.2012

प्रतिलिपि–

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर विभाग, भोपाल।
2. अपर आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश (प्रशासन/तकनीकी)।
3. उपायुक्त आबकारी, मुख्यालय (तकनीकी)।
4. उपायुक्त आबकारी, राज्य उड़नदस्ता, मध्यप्रदेश, भोपाल।
5. समस्त उपायुक्त आबकारी, संभागीय उड़नदस्ता, मध्यप्रदेश।
6. समस्त सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी, मध्यप्रदेश की ओर उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. समस्त प्रभारी अधिकारी, विनिर्माणी इकाई (डिस्टलरी, वाइनरी, ब्रुअरी, देशी मदिरा, विदेशी मदिरा बॉटलिंग इकाइयां) की ओर उपरोक्तानुसार पालनार्थ।
8. समस्त अनुज्ञप्तिधारी, विनिर्माणी इकाई (डिस्टलरी, वाइनरी, ब्रुअरी, देशी मदिरा, विदेशी मदिरा बॉटलिंग इकाईयां) की ओर उपरोक्तानुसार पालनार्थ।

(एस.के.वेंद)
आबकारी आयुक्त
मध्यप्रदेश

खाली बोतलों के संग्रह की लेखा पंजी

अ. क्र.	दिनांक	बोतलों की प्रारंभिक संख्या	बोतलों की प्राप्त मात्रा		बोतलों की कुल संख्या 3+5	उपयोग में लाई गई बोतलों की संख्या	बोतलों में टूट फूट की संख्या	बोतलों का शेष स्कंध 6–(7+8) संख्या	रिमार्क
			बोतल विक्रेता का नाम	संख्या					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

नोटः–

1. प्रत्येक पेज पर मटेरियल का विवरण कांच अथवा पैट स्पष्ट पृथक–पृथक लिखें।
2. बोतल की धारिता 1000/750/375/180/90/60 मिलीलीटर आदि का स्पष्ट उल्लेख किया जाये।
3. प्रत्येक किस्म (कांच अथवा पैट) तथा धारिता की बोतल के लिये पृथक पेज/पंजी का उपयोग किया जाये।